न्यायालय वाणिज्यिक न्यायालय, कक्ष सं0–2,मेरठ।

पीठासीन अधिकारी– अशोक कुमार, (उच्चतर न्यायिक सेवा),

मूल वाद सं0 91 सन 2024

CNR No. UPME190001912024

केनरा बैंक निगमित निकाय, गठित अन्तर्गत बैंकिगं कम्पनियाँ (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तान्तरण),अधिनियम 1970 जिसका प्रधान कार्यालय जे0 सी0 रोड,बेंगलुरू तथा जिसकी अन्य शाखाओं में से एक शाखा शताब्दी नगर वर्तमान में परतापुर, मेरठ पर स्थित है।

–––––––– वादी बैंक।

बनाम

1. मेसर्स जय दुर्गा एन्टरप्राईजेज, खसरा नं० 305, इन्द्रापुरम कालोनी, निकट मन्दिर वाली गली, परतापुर, मेरठ–250103 द्वारा प्रोपराईटर श्रीमती राजेश देवी।

2. श्रीमती राजेश देवी पत्नी ओम प्रकाश, निवासी खसरा नं० 305, इन्द्रापुरम कालोनी, निकट मन्दिर वाली गली, परतापुर, मेरठ–250103

–––––––प्रतिवादीगण।

अधिवक्ता का नाम – श्री अनिल कुमार मित्तल, एडवोकेट।

<u>निर्णय</u>

1– प्रस्तुत वाद वादी बैंक द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत आदेश 37 सिविल प्रक्रिया संहिता अंकन 4,91,938/– व दिनांक 30.09.2023 से भुगतान की तिथि तक 10 प्रतिशत वार्षिक 02 प्रतिशत दण्ड ब्याज कुल 12 प्रतिशत की वसूली हेतु संस्थित किया गया है।

2– वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का सार संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि वादी एक बैंक है, जो बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 के तहत गठित है, जिसका प्रधान कार्यालय जे०सी०रोड, बेगलूरू में है, और अन्य शाखाओं के साथ–साथ शताब्दी नगर, वर्तमान में परतापुर, मेरठ में एक शाखा कार्यालय है।

प्रस्तुत वाद योजित करते समय श्री अभिषेक पाण्डेय, वादी बैंक की उक्त शाखा के शाखा प्रबन्धक एवं प्रधान अधिकारी थे, जिनको उक्त वाद को हस्ताक्षरित करने और सत्यापित करने का पूर्ण अधिकार वादी बैंक द्वारा प्रदान किया गया था।

दिनांक 18.01.2021 को प्रतिवादी सं02 द्वारा प्रतिवादी सं० 1 के नाम से वादी बैंक से तथा नई 'मारूति बेलोनो डेल्टा' पंजीकरण सं०यू०पी० 15 डीएल–2630 क्रय करने हेतु अंकन 6,00,000/– रूपये वित्तीय सहायता स्वीकृत करने की याचना की।

प्रतिवादीगण के अनुरोध पर, वादी बैंक ने दिनांक 22.01.2021 अंकन 6,00,000/– रूपये नई 'मारूति बेलोनो डेल्टा' पंजीकरण सं०यू०पी० 15 डीएल–2630 क्रय करने हेतु सावधि ऋण स्वीकृत किया तथा उक्त ऋण को प्रतिवादी सं० 2 द्वारा मासिक किस्तों में अदा करने का वचन दिया गया।

उक्त ऋण के सुरक्षित रखने हेतु प्रतिवादीगण ने दिनांक 22.01.2021 को निम्नांकित प्रपत्र वादी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये गयेः–

1– केनरा वाहन ऋण अनुबन्ध पत्र दिनांकित 22.01.2021 अंकन 6,00,000/– रूपये।

2– गारन्टी अनुबन्ध पत्र दिनांकित 22.01.2021 अंकन 6,00,000/– रूपये

उक्त ऋण धनराशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज 02 प्रतिशत दण्ड ब्याज मासिक अन्तराल पर दिया जाना तय पाया गया।

प्रतिवादीगण द्वारा वित्तीय अनुशासन बनाये नहीं रखा गया और न ही नियम व शर्तो का सम्मान ही किया गया तथा उनके द्वारा उक्त वित्तीय सुविधा की अदायगी में चूक की गयी। इस प्रकार प्रतिवादीगण बकाया ऋण की पूरी राशि और उस पर देय समय ब्याज का एकमुश्त भुगतान करने के उत्तरदायी हैं।

वादी बैंक द्वारा कई बार प्रतिवादीगण से ऋण की अदायगी हेतु सम्पर्क किया गया परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वादी के अनुरोध के बावजूद ऋण की अदायगी नहीं की गयी। इसलिए वादी बैंक द्वारा प्रतिवादीगण को दिनांक 09.08.2023 को विधिक सूचना पत्र बकाया ऋण मय ब्याज की अदायगी हेतु प्रेषित किया गया लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा कोई ऋण की अदायगी नहीं की गयी तथा उक्त वाद योजित करने के अतिरिक्त वादी बैंक के पास कोई विकल्प नहीं रहा है, इसलिए यह वाद योजित किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर ऋण की शर्तो के अनुसार अंकन 4,91,938/– रूपये बकाया हो गये तथा वादी उक्त धनराशि पर दिनांक 30.09.2023 से ऋण अदायगी की तिथि तक 10 प्रतिशत वार्षिक एवं 02 प्रतिशत दण्ड ब्याज कुल 12 प्रतिशत मासिक अन्तराल के साथ दौरान वाद व भविष्य हेतु पाने का वादी बैंक अधिकारी है।

समग्रता के प्रकाश में वादी बैंक द्वारा प्रतिवादीगण से उक्त बकाया ऋण राशि ब्याज सहित दिलाये जाने की याचना की गयी।

3– प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित आये परन्तु दौरान वाद प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित न आने पर आदेश दिनांक 24.03.2026 द्वारा वाद की कार्यवाही प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी।

4– वादी की ओर से सूची 7ग से वादी बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री अभिषेक पाण्डेय को प्रदत्त प्राधिकार पत्र, ऋण आवेदन पत्र दिनांकित 18.01.201 जो प्रतिवादीगण द्वारा अंकन 6,00,000/– रूपये के ऋण हेतु प्रस्तुत किया गया, की छाया प्रति, ऋण स्वीकृति पत्र दिनांकित 22.01.2021 अंकन 6,00,000/– रूपयें की छाया प्रति, केनरा वाहन ऋण अनुबन्ध पत्र दिनांकित 22.01.2021 अंकन 6,00,000/– रूपयें की छाया प्रति, गारन्टी अनुबन्ध पत्र दिनांकित 22.01.2021 अंकन 6,00,000/– रूपयें की छाया प्रति,नई 'मारूति बेलोनो डेल्टा कार' के पंजीकरण नं० UP15DL 2630 की छाया प्रति, श्रीमती राजेश देवी के आधार कार्ड व पेन कार्ड की छाया प्रति, विधिक सूचना पत्र दिनांकित 09.08.2023 की प्रति तथा डाकखाना रसीद दिनांकित 18.08.2023 प्रपत्र सं0 8ग/1 लगायत 8ग/29 दाखिल किये गये।

5– मेरे द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत लिखित बहस/तर्क तथा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य समस्त प्रलेखीय साक्ष्य का अति गहनता के साथ परिशीलन किया।

6– वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि उक्त वाद वादी ने ऋण वसूली अंकन 4,91,938/– रूपये दौरान वाद व भविष्यकालीन ब्याज दिनांक 30.09.2023 से 10 प्रतिशत ब्याज वार्षिक 02 प्रतिशत दण्ड ब्याज कुल 12 प्रतिशत वार्षिक मासिक अन्तराल ब्याज की दर सहित, प्राप्ति हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 03.05.2024 को योजित किया था।

7– दिनांक 18.01.2021 को प्रतिवादी सं02 द्वारा प्रतिवादी सं० 1 के नाम से वादी बैंक से तथा नई 'मारूति बेलोनो डेल्टा' पंजीकरण सं०यू०पी० 15 डीएल–2630 क्रय करने हेतु अंकन 6,00,000/– रूपये वित्तीय सहायता हेतु आवेदन किया गया था जिसे वादी बैंक के द्वारा दिनांक 22.01.2021 स्वीकृत कर अंकन 6,00,000/– रूपये का ऋण प्रदत्त किया गया तथा उक्त ऋण धनराशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज 02 प्रतिशत दण्ड ब्याज मासिक अन्तराल पर दिया जाना तय पाया गया। पक्षकार ऋण अनुबन्ध पत्र में लिखित शर्तो के अनुसार पाबंद हैं। प्रतिवादीगण द्वारा ऋण की अदायगी में व्यतिक्रम करना शुरू कर दिया गया। प्रतिवादीगण ने बकाया ऋण राशि को अदा करने में चूक व लापरवाही की है। प्रतिवादीगण को नोटिस की तामील हो गयी थी। माननीय न्यायालय से नोटिस के तामील होने के 10 दिन के अन्दर वाद को प्रतिरक्षा करने की न्यायालय में शपथपत्र देकर प्रतिवादीगण को अनुमति लेनी थी तथा अनुमति के पश्चात ही प्रतिवादपत्र दाखिल करना था लेकिन प्रतिवादीगण ने कोई प्रतिवादपत्र दाखिल नहीं किया और न ही न्यायालय से कोई प्रतिरक्षा (Leave to Defend) की अनुमति इस वाद में ली। न्यायालय द्वारा दिनांक 24.03.2026 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय सुनवाई का आदेश पारित किया गया।

8– वाद के कथनों के समर्थन में वादी बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री अभिषेक पाण्डेय को प्रदत्त प्राधिकार पत्र, ऋण आवेदन पत्र दिनांकित 18.01.201 जो प्रतिवादीगण द्वारा अंकन 6,00,000/– रूपये के ऋण हेतु प्रस्तुत किया गया, की छाया प्रति, ऋण स्वीकृति पत्र दिनांकित 22.01.2021 अंकन 6,00,000/– रूपयें की छाया प्रति, केनरा वाहन ऋण अनुबन्ध पत्र दिनांकित 22.01.2021 अंकन 6,00,000/– रूपयें की छाया प्रति, गारन्टी अनुबन्ध पत्र दिनांकित 22.01.2021 अंकन 6,00,000/– रूपयें की छाया प्रति,नई 'मारूति बेलोनो डेल्टा कार' के पंजीकरण नं० UP15DL 2630 की छाया प्रति, श्रीमती राजेश देवी के आधार कार्ड व पेन कार्ड की छाया प्रति, विधिक सूचना पत्र दिनांकित 09.08.2023 की प्रति तथा डाकखाना रसीद दिनांकित 18.08.2023 प्रपत्र सं0 8ग/1 लगायत 8ग/29 प्रस्तुत किये गये, जिनसे वादी बैंक का वाद साबित है। वादी द्वारा अनुरोध किया गया है कि वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री किया जाए।

9– वादी के तर्को व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादी बैंक से वित्तीय सुविधा के सम्बन्ध में किये गये करार तथा

उभय पक्ष के मध्य हुए करार के भंग के कारण ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण योजित किया गया। वाद समय सीमा के अन्तर्गत है। पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है। बकाया धन की वसूली के सम्बन्ध में वाद योजित किया गया है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 6 सपठित धारा 16 के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत वाद वाणिज्यिक न्यायालय में परीक्षणीय है तथा इस न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

10– पत्रावली पर प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा ऋण आवेदन पत्र दिनांकित 18.01.201 जो प्रतिवादीगण द्वारा अंकन 6,00,000/– रूपये के ऋण हेतु प्रस्तुत किया गया, की छाया प्रति, ऋण स्वीकृति पत्र दिनांकित 22.01.2021 अंकन 6,00,000/– रूपयें की छाया प्रति, केनरा वाहन ऋण अनुबन्ध पत्र दिनांकित 22.01.2021 अंकन 6,00,000/– रूपयें की छाया प्रति, गारन्टी अनुबन्ध पत्र दिनांकित 22.01.2021 अंकन 6,00,000/– रूपयें की छाया प्रति,नई 'मारूति बेलोनो डेल्टा कार' के पंजीकरण नं० UP15DL 2630 की छाया प्रति, श्रीमती राजेश देवी के आधार कार्ड व पेन कार्ड की छाया प्रति,आदि प्रपत्र निष्पादित किये जो पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय साक्ष्य से सिद्ध हैं जिनकी पुष्टि वादी बैंक के वरिष्ठ प्रबन्धक श्री अभिषेक पाण्डेय के द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र 5 ग से होती है।

11– यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त अभिकथन व साक्ष्य के खण्डन में प्रतिवादीगण के द्वारा कोई साक्ष्य या अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादी का कथन व साक्ष्य अखण्डनीय है, जिसपर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए वादी बैंक वांछित आज्ञप्ति पाने का अधिकारी है।

12– उपर्युक्त तथ्यों एवं साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत मामले में प्रतिवादीगण द्वारा वादी बैंक को नियमित भुगतान नहीं किया गया।

13– अतः इन परिस्थितियों में वादी बैंक ऋण धनराशि अंकन 4,91,938/– रूपये दौरान वाद व भविष्यकालीन ब्याज दिनांक 30.09.2023 से 10 प्रतिशत ब्याज वार्षिक 02 प्रतिशत दण्ड ब्याज कुल 12 प्रतिशत वार्षिक मासिक अन्तराल ब्याज की दर सहित प्राप्त करने का अधिकारी है, जिसकी अदायगी का उत्तरदायित्व प्रतिवादीगण पर है।

तदनुसार वाद आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध सव्यय आज्ञप्त किया जाता है।

प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वादी को ऋण धनराशि अंकन 4,91,938/– (चार लाख इक्यानवे हजार नौ सौ अड़तीस रूपये) दौरान वाद व भविष्यकालीन ब्याज दिनांक 30.09.2023 से 10 प्रतिशत ब्याज वार्षिक 02 प्रतिशत दण्ड ब्याज कुल 12 वार्षिक दण्ड ब्याज मासिक अन्तराल ब्याज की दर से दो माह के मध्य अदायगी करे।

वादी को अधिकार होगा कि वह न्यायालय के माध्यम से डिक्री की धनराशि वसूल कर ले।

तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के पश्चात् विधिनुसार अभिलेखागार संचित की जाए।

दिनांक 23.07.2026

(अशोक कुमार)
पीठासीन अधिकारी,
वाणिज्यिक न्यायालय कक्ष सं०–2, मेरठ।
जे०ओ०नं०–यू०पी०–5988

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 23.07.2026

(अशोक कुमार)
पीठासीन अधिकारी,
वाणिज्यिक न्यायालय कक्ष सं०–2, मेरठ।
जे०ओ०नं०–यू०पी०–5988

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2026.07.24 11:06:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court